# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2018 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 07.03.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00022

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री गोकल पिता उॅकार जाति डांगी निवासी अमीरामा, मृत्क के बजाएः–
1/1–रोड़ीलाल पिता गोकल डांगी निवासी अमीरामा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, बडीसादडी जरिये पत्रांक/राजस्व/प्रा. पत्र/82/6/82 दिनांक 02.06.82**

उपस्थितिः–1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक
2– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता विपक्षीगण

| प्र. सं. 13/2018 (रा.प्रा.पत्र) |
| --- |
| राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी बनाम श्री गोकल पिता उॅकार डांगी निवासी अमीरामा मृत्तक के बजाएः-रोडीलाल पिता गोकल डांगी निवासी अमीरामा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा |

## निर्णय

**दिनांक 07.08.2024**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षी के पेश कर निवेदन किया कि मौजा अमीरामा की साबिक आराजी संख्या 765 मी. रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में से 250 वर्ग गज भूमि बाडे बाबत् गोकल पिता उॅकार डांगी को गैर खातेदारी हक से तत्कालीन तहसीलदार, बडीसादडी द्वारा जरिये मिसल क्रमांक/राजस्व/प्रा.पत्र/82/6/82 से दिनांक 02.06.82 से आवंटित जिसके नवीन आराजी संख्या 948 रकबा 0.02 हैक्टेयर है जो जरिये नामान्तरण संख्या 264 दिनांक 23.11.82 से गोकल पिता उॅकार डांगी के नाम दर्ज की गई। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र पालीवाल ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब करने पर तहसीलदार, बडीसादडी द्वारा उक्त पत्रावली रेकार्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि आवंटी गोकल पिता उॅकार डांगी को बाडे के रूप में आवंटित भूमि पर उसका कब्जा-काश्त नहीं रहा तथा आवंटी एवं विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण का मुख्य कथन यह रहा कि मौजा अमीरामा की आराजी नम्बर 948 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि गोकल पिता उॅकार के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है जो कि गोकल को तत्कालीन तहसीलदार, बडीसादडी द्वारा साबिक आराजी नम्बर 765 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 250 वर्ग गज भूमि बाडे के रूप मे आवंटित की गोकल की मृत्यु हो चुकी है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर गोकल के वारिस पुत्र रोडीलाल का कब्जा होकर

अपने परिवार सहित पक्का निर्माण कर पक्का मकान बनाकर निवास करता चला आ रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र विपक्षी के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार तत्कालीन तहसीलदार, बडीसादडी द्वारा मृत्तक गोकल पिता उॅकार डांगी को मौजा अमीरामा की बिलानाम साबिक आराजी संख्या 765 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में से 250 वर्ग गज भूमि का आवंटन बाडे के रूप में गैर खातेदारी हक से किया गया जो कि नामान्तरण संख्या 264 दिनांक 23.11.82 से आवंटी गोकल पिता उॅकार डांगी के नाम गैर खातेदारी दर्ज किया जिसके वर्तमान में नवीन आराजी नम्बर 948 रकबा 0.02 हैक्टेयर बने जो कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। उक्त आराजी नम्बर 948 रकबा 0.02 हैक्टेयर गै. मू. बाडा के रूप में आवंटी गोकल के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरण संख्या 264 दिनांक 23.11.82 का अवलोकन किया जिसके अनुसार नामान्तरण की प्रति के कॉलम संख्या 7 मृदा भूमि वर्गीकरण के कॉलम में किस्म रास्ता अंकित होना स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि तत्कालीन तहसीलदार, बडीसादडी द्वारा आवंटी को गलत रूप से बिलानाम रास्ते की भूमि में से 250 वर्ग गज भूमि का बाडे के रूप में आवंटन किया है जो अवैधानिक है तथा रास्ते की भूमियां किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं की जा सकती।

आवंटन आदेश में आवंटन शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है तथा जिन शर्तों पर आवंटन हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है किः-

1-इस भूमि को राज्य सरकार को जब भी जरूरत होगी बिना क्षतिपूर्ति के पुनः ग्रहण की जा सकेगी।

2-प्रार्थी को इस भूमि का मालिकाना हक नहीं होगा।

3-इस भूमि को प्रार्थी द्वारा रहन बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा न ही इस पर कोई पक्का निर्माण कार्य कर सकेगा तथा राज.

भूराजस्व अधिनियम, 1956 एवं इसके तहत प्रचलित नियमो व परिनियमों की पालना करने हेतु बाध्य होगा।

अतः आवंटन आदेश की शर्त संख्या 3 अनुसार इस भूमि पर आवंटी या विपक्षी द्वारा पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता जबकि विपक्षी ने स्वयं अपने जवाब के बिन्दु संख्या 2 व 3 में तथा विशेष कथन के बिन्दु संख्या 2 में यह तथ्य अंकित करते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि वह अपने परिवार सहित इस भूमि पर पक्का निर्माण कर मकान बना परिवार सहित निवास कर रहा है। प्रथम तो आवंटी को बिलानाम रास्ते की भूमि का आवंटन किया गया है जो किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता तथा द्वितीय आवंटी एवं विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं कर उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि आवंटी एवं विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आराजी नम्बर 765 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में से 250 वर्ग गज (जिसके नवीन आराजी संख्या 948 रकबा 0.02 हैक्टेयर) का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

**(राकेश कुमार)**